बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–16/2025– **पटना, दिनांक– / /2025**

डा० रोहित सिंह, सहायक प्राध्यापक (संविदा–BHS), युरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को **दिनांक–16.06.2025 से 22.06.2025** तक की अवधि में विदेश (थाईलैंड) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के सांथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. **डा० सिंह,** विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
3. **डा० सिंह**, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
4. **डा० सिंह,** विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
5. **डा० सिंह**, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तो के अधीन दंड के भागी होंगे।
6. **डा० सिंह**, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/–

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/एल 1–16 /2025– 564(17) **/पटना, दिनांक–**02/06**/2025**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/डा० रोहित सिंह, सहायक प्राध्यापक (संविदा–BHS), युरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 02/06/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir /Passport